न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 132/2020 जिला–सीकर।

1. नारायण पुत्र डालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम सावंलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. जयमल पुत्र डालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम सावंलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
3. बंशी पुत्र महादेव जाति गुर्जर निवासी ग्राम सावंलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

अपीलान्टस्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 23.12.2016 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्टस् श्री के.आर. शर्मा।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 27.12.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 23.12.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक दिनाक 24.10.2016 के द्वारा ग्राम देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 725, 726, 759 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट /जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44/राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम देवीपुरा के खसरा नम्बर 725, 726, 759 में से प्रस्तावित रकबे का भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं गै0मु0 रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने के आदेश दिये।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट् स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 23.12.2016 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 726 रकबा 0.56 है0 एवं खसरा नम्बर 725 रकबा 0.36 है0 स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में अपीलार्थीगण के नाम दर्ज एवं अमल है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा रास्ते के प्रस्ताव दिनांक 18.10.2016 को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाये गये जिसमें से अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 2 के खसरा नम्बर 726 रकबा 0.56 है0 में से 0.02 है0 एवं अपीलार्थी संख्या 3 के संबंध में खसरा नम्बर 725 रकबा 0.36 है0 में से 0.02 है0 के संबंध में प्रस्ताव भिजवाये गये थे। आदेश न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 02.11.2016 को दर्ज करते हुये संबंधित खातेदारान को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। उसके पश्चात दिनांक 17.11.2016 को खातेदारान को सुनवाई हेतु पूर्व आदेशानुसार नोटिस जारी किये जाने के आदेश जारी कर तारीख पेशी दिनांक 19.12.2016 नियत की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये बिना ही एकपक्षीय रूप से आदेश दिनांक 23.12.2016 अपीलार्थीगण की निजी खातेदारी कृषि भूमि में से राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो की तामील करवाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिये था। अपीलार्थीगण की कृषि भूमि पर मौके पर कोई रास्ता चालू नही था और ना ही राजस्व रिकार्ड में कभी रास्ता रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार के प्रस्ताव को अकाट्य प्रमाण मानकर एवं संबंधित पटवारी के बयान दर्ज न करके आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.12.2016 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 14.10.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 725, 726, 759 के खातेदारो की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 24.10.2016 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का हाथीदेह, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2016 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव के अनुसार ग्राम देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 725 रकबा 0.36 है0 में से 0.02 है0, खसरा नम्बर 726 रकबा 0.56 है0 में से 0.02 है0 तथा खसरा नम्बर 759 रकबा 1.47 है0 में से 0.01 है0 रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस, जमाबंदी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2016 पारित किया गया है।

8. हम समझते है कि अपीलांटस्स् प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2016 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं। अपीलांट वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 725, 726 के खातेदार होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अपीलांटस् को नोटिस जारी

कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही केवल तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है।

9. अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांटस् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित उवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner